

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//सूचना //

भोपाल, दिनांक 27-01-2026

क्रमांक ENV/6/0012/2025-SEIAA-EPCO - एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्र. 2811 (अ) दिनांक 28.08.2017 द्वारा संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य जो संजय डुबरी बाघ आरक्षिती के कोर क्षेत्र को गठित करते हैं, की सीमा से 02 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को **संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य** पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

2/- उक्त अधिसूचना के बिंदु क्रमांक 02 (1) के परिपालन में राज्य शासन द्वारा "संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य" के पारिस्थितिक संवेदी जोन की आंचलिक महायोजना तैयार की गई है, जिसका राज्य शासन द्वारा गठित अन्तर्विभागीय राज्य स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण किया गया।

3/- उपरोक्त आंचलिक महायोजना की प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.08.2017 सहित सार्वजनिक अवलोकन हेतु सम्बंधित जिला कलेक्टर कार्यालय अर्थात कलेक्टर कार्यालय, जिला - सिंगरौली (म.प्र.); कलेक्टर कार्यालय, जिला - शहडोल (म.प्र.); कलेक्टर कार्यालय, जिला - सीधी (म.प्र.) एवं क्षेत्र संचालक कार्यालय, संजय टाईगर रिजर्व, जिला - सीधी (म.प्र.) में कार्यालय समय के दौरान, अवकाश के दिनों को छोड़कर, उपलब्ध है। उक्त आंचलिक महायोजना की प्रति <https://www.singrauli.nic.in>; <https://www.shahdol.nic.in>; <https://www.sidhi.nic.in>; <https://www.sanjaytigerreserve.org> एवं <https://epco.mp.gov.in> वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

4/- उक्त आंचलिक महायोजना पर कोई भी आपत्ति या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति लिखित रूप में 30 दिन की अवधि के भीतर उपरोक्त उल्लेखित स्थानों में से किसी भी स्थान पर विचारार्थ भेज सकते हैं अथवा कलेक्टर सिंगरौली (म.प्र.) के ई-मेल dmsingrauli@mp.gov.in, कलेक्टर, शहडोल (म.प्र.) के ई-मेल dmsahdol@nic.in; कलेक्टर, सीधी (म.प्र.) के ई-मेल dmsidhi@nic.in एवं क्षेत्र संचालक, संजय टाईगर रिजर्व, जिला- सीधी (म.प्र.) के ई-मेल fdsajnp.sdh@mp.gov.in में से किसी पर भी निर्धारित समयावधि में भेज सकते हैं।

VARSHA SOLANKI
DEPUTY SECRETARY
ENVIRONMENT DEPARTMENT

पृष्ठांकन क्रमांक ENV/6/0012/2025-SEIAA-EPCO

भोपाल, दिनांक 27-01-2026

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.) ।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
6. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.) ।
7. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एपको), भोपाल (म.प्र.) ।
8. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, लिली ट्रेड विंग, 6 वां तल, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) की ओर प्रारूप आंचलिक महायोजना (ड्राफ्ट जोनल मास्टर प्लान) की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी प्राथमिकता पर संबंधित अधिकृत अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने हेतु ।
9. संभागायुक्त, रीवा संभाग, रीवा (म.प्र.)।
10. संभागायुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.)।
11. क्षेत्र संचालक कार्यालय, संजय टाईगर रिजर्व, जिला - सीधी की ओर प्रारूप आंचलिक महायोजना (ड्राफ्ट जोनल मास्टर प्लान) वेबसाइट <https://www.sanjaytigerreserve.org> पर अपलोड किए जाने हेतु ।
12. कलेक्टर, जिला - सिंगरौली की ओर प्रारूप आंचलिक महायोजना (ड्राफ्ट जोनल मास्टर प्लान) वेबसाइट <https://www.singrauli.nic.in> पर अपलोड किए जाने हेतु ।
13. कलेक्टर, जिला - शहडोल की ओर प्रारूप आंचलिक महायोजना (ड्राफ्ट जोनल मास्टर प्लान) वेबसाइट <https://www.shahdol.nic.in> पर अपलोड किए जाने हेतु ।
14. कलेक्टर, जिला - सीधी की ओर प्रारूप आंचलिक महायोजना (ड्राफ्ट जोनल मास्टर प्लान) वेबसाइट <https://www.sidhi.nic.in> पर अपलोड किए जाने हेतु।
15. प्रशासनिक अधिकारी, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एपको) की ओर प्रारूप आंचलिक महायोजना (ड्राफ्ट जोनल मास्टर प्लान) की सॉफ्ट कॉपी संगठन की वेबसाइट <https://epco.mp.gov.in> पर अपलोड कराए जाने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(DIGITALLY SIGNED)

VARSHA SOLANKI

DEPUTY SECRETARY

ENVIRONMENT DEPARTMENT